**भारत सरकार**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**

**पशुपालन और डेयरी विभाग**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या - *193**

**दिनांक 14 मार्च, 2023 के लिए प्रश्न**

**चारा किसान उत्पादक संगठनों का गठन**

***193. श्रीमती अपराजिता सारंगी:**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूखे चारे की ऊंची कीमतों के कारण ग्रामीण परिवारों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए चारा किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने की योजना शुरू की है;

(ख) क्या सरकार का केंद्रीय बजट में चारा विकास पर व्यय बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में एफपीओ स्थापित करने के लिए लक्ष्यों और समय-सीमा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए संस्वीकृत धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में पशु आहार और चारे की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे अन्य नीतिगत उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री**

**(श्री परशोत्तम रूपाला)**

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

**चारा किसान उत्पादक संगठनों के गठन के संबंध में दिनांक 14.3.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 193 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।**

(क) जी हां। केंद्र सरकार "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन" के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना भी क्रियान्वित कर रही है। कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को वर्ष 2022-23 के दौरान 100 एफपीओ, मुख्यतया चारा केंद्रित एफपीओ बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया था।

(ख) केंद्र सरकार वर्ष 2021-22 से 2300 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ देश में आहार और चारा विकास संबंधी उप मिशन सहित केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन को क्रियान्वित कर रही है। यह योजना मांग आधारित है।

(ग) और (घ) केंद्र सरकार वर्ष 2027-28 तक 10,000 नए एफपीओ बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन" हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित कर रही है। इस योजना का कुल बजट परिव्यय 6865 करोड़ रुपये है। 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन (एफपीओ) योजना, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है; इसलिए कोई राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन नहीं किया गया था। योजना के तहत एफपीओ बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को 792.058 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गयी है। एनडीडीबी को आवंटित 100 एफपीओ में से 94 एफपीओ 19 राज्यों में 61 क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) को आवंटित किए गए हैं। कुल 30 सीबीबीओ ने किसानों को जुटाने, प्रमोटरों की पहचान करने और पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, गठन और इन्क्यूबेशन के लिए, सीबीबीओ को प्रति गठित एफपीओ के लिए अधिकतम 25.00 लाख रुपये (पांच साल की अवधि में) प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, एफपीओ को तीन साल की अवधि के लिए 18.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उम्मीद है कि सभी 100 चारा प्लस एफपीओ वर्ष 2023-24 के दौरान पंजीकृत हो जाएंगे। विभिन्न राज्यों को आवंटित चारा प्लस एफपीओ का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ङ) केंद्र सरकार वर्ष 2021-22 से देश में आहार और चारा विकास संबंधी उप मिशन के साथ केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन क्रियान्वित कर रही है, जिसमें नकदी फसल के रूप में चारा फसल को बढ़ावा देने वाली उच्च उपज वाली चारा किस्मों के बीज उत्पादन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, तथा इस प्रकार चारे की फसलों के तहत अधिक क्षेत्र में विविधता का समावेश होता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत आहार और चारे हेतु उद्यमशीलता कार्यकलापों के लिए सहायता दी जाती है, जिसमें लाभार्थी को परियोजना लागत

के 50 लाख रुपये तक 50 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराकर मूल्यवर्धन जैसे हे/ साइलेज / कुल मिश्रित राशन (टीएमआर) / चारा ब्लॉक और चारे के भंडारण हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार गुणवत्तापूर्ण पशु आहार का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए पशु आहार परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना सहित पशु चारा निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2020-21 से केंद्रीय क्षेत्र की योजना पशुपालन अवसंरचना विकास निधि भी क्रियान्वित कर रही है। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) भी पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) के तहत एक पात्र इकाई हैं। साथ ही भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान (आईजीएफआरआई-आईसीएआर) ने 25 राज्यों में आहार और चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए संबंधित राज्यों में फसल पद्धति और पशुधन प्रजातियों के आधार पर चारा विकास योजना तैयार की है। राज्यों को इन चारा विकास योजनाओं को अपने क्षेत्रों में क्रियान्वित करने का निर्देश दिया गया है।

*****

**अनुबंध**

**दिनांक 14.03.2023 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 193 के भाग (ग) के उत्तर के संदर्भ में अनुबंध**

**चारा प्लस एफपीओ का राज्यवार आवंटन**

| क्र.सं. | राज्य का नाम | आवंटित चारा प्लस एफपीओ की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 4 |
| 2 | बिहार | 9 |
| 3 | गोवा | 1 |
| 4 | गुजरात | 16 |
| 5 | हरियाणा | 3 |
| 6 | झारखंड | 2 |
| 7 | कर्नाटक | 11 |
| 8 | केरल | 9 |
| 9 | मध्य प्रदेश | 4 |
| 10 | महाराष्ट्र | 6 |
| 11 | मेघालय | 1 |
| 12 | मिजोरम | 1 |
| 13 | पंजाब | 6 |
| 14 | राजस्थान | 8 |
| 15 | सिक्किम | 2 |
| 16 | तमिलनाडु | 1 |
| 17 | उत्तर प्रदेश | 3 |
| 18 | उत्तराखंड | 3 |
| 19 | पश्चिम बंगाल | 4 |
| | **कुल** | **94** |